अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 1

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 20 आर० 15 / 2023–24

07
11.03.2024

रवि भूषण प्रसाद पिता स्व० जगदीश प्रसाद निवासी मोहल्ला नगवा, पोस्ट तिउरी, थाना मानपुर, बिहार शरीफ, जिला नालन्दा (बिहार) वर्त्तमान निवासी जे० पी० मार्ग, मिसिरगोंदा, कॉके रोड, थाना गोंदा, जिला रॉची .... प्रार्थी

बनाम

राज्य .... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 291 आर० 15 / 2017–18 मे दिनांक 07.04.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, रॉची ने प्रार्थी के द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए अंचल अधिकारी, हेहल, रॉची के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 296 आर० 27 / 2017–18 मे दिनांक 01.09.2017 को पारित आदेश को बहाल रखा गया है, जिसके तहत्त विद्वान अंचल अधिकारी हेहल ने प्रार्थी के द्वारा मौजा मिसीरगोंदा के खाता सं० 181, प्लॉट सं० 1819 रकबा 3 डी० भूमि के नामान्तरण को अस्वीकृत कर दिया है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मौजा मिसीरगोंदा के खाता सं० 181, प्लॉट सं० 1819 रकबा 34 डी० भूमि नवल कि ोर प्रसाद पिता सुखलाल प्रसाद ने निबंधित पट्टा दिनांक 21.11.1983 के द्वारा प्राप्त किया है। उक्त खरीदगी के पश्चात् उक्त भूमि का नामान्तरण नवल किशोर प्रसाद के पक्ष मे दाखिल खारिज वाद सं० 1197 आर० 27 / 1983–84 मे दिनांक 11.01.1984 को पारित आदेश के द्वारा स्वीकृत हुआ। उक्त नवल किशोर प्रसाद ने तत्पश्चात् उपरोक्त भूमि मधे रकबा 1 कट्ठा 14 छटांक भूमि को ललित भूषण

Certified tobe Truecopy

Head Clerk
Legal Section, Ranchi

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

प्रसाद को निबंधित पट्टा दिनांक 13.06.1997 के द्वारा हस्तांतरित कर दिया। इसी प्रकार उक्त नवल किशोर प्रसाद ने उक्त भूमि मधे रकबा 1 कट्ठा 14 छटांक भूमि प्रार्थी रवि भूषण प्रसाद को निबंधित पट्टा सं० 4310 दिनांक 13.06.1997 के द्वारा हस्तांतरित कर दिया, जिसका नामान्तरण प्रार्थी रवि भूषण प्रसाद के पक्ष मे दाखिल खारिज वाद सं० 2691 आर० 27/2003–04 मे दिनांक 17.12.2003 को पारित आदेश के द्वारा स्वीकृत हुआ। प्रार्थी रवि भूषण प्रसाद ने अपने भाई ललित भूषण प्रसाद के द्वारा क्रय की गई उपरोक्त 1 कट्ठा 14 छटाक भूमि को निबंधित पट्टा के द्वारा क्रय किया तथा उसके नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी हेहल के समक्ष दाखिल खारिज वाद सं० 296 आर० 27/2017–18 दायर किया, जिसे विद्वान अंचल अधिकारी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आवेदक/प्रार्थी के केवाला मे विक्रेता की जाति कुर्मी दर्ज है एवं क्रय विक्रय मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (बी०) का अनुमति/परमिशन से संबंधित कागजात संलग्न नही है।

प्रार्थी रवि भूषण प्रसाद एवं ललीत भूषण प्रसाद सहोदर भाई है तथा मूलतः मोहल्ला नगवा, पोस्ट तिउरी, थाना मानपुर, बिहार सरीफ, जिला नालन्दा (बिहार) के निवासी है, और वे लोग अवधिया कुर्मी जाति के सदस्य है। इस संबंध मे प्रार्थी के द्वारा बिहार सरकार के प्रपत्र मे अंचल अधिकारी बिहारशरीफ के निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी बिहार के निवासी एवं कुर्मी जाति के सदस्य है एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से अनाच्छादित है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रार्थी की आरे से समर्पित लिखित बहस का अवालोकन किया। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान अंचल अधिकारी एवं उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची ने प्रार्थी के केवाला मे विक्रेता की जाति कुर्मी दर्ज होने एवं क्रय विक्रय मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (बी०) का अनुमति/परमिशन से संबंधित

Certified tobe Truecopy

Head Clerk
Legal Section, Ranchi

अनुसूची 14 – फारम सं० 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	3	
	कागजात संलग्न नही होने के कारण प्रार्थी के द्वारा दाखिल नामान्तरण वाद को अस्वीकृत कर दिया। इस संबंध मे प्रार्थी के अनुसार रवि भूषण प्रसाद एवं ललीत भूषण प्रसाद सहोदर भाई है तथा मूलतः मौहल्ला नगवा, पोस्ट तिउरी, थाना मानपुर, बिहारशरीफ, जिला नालन्दा (बिहार) के निवासी है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत्त निर्गत गजट नोटिफिकेशन सं० ए०/टी० 3043/61–5423–आर० दिनांक 23.06.1962 के अनुसार छोटानागपुर प्रमण्डल के अन्तर्गत निवास करने वाले कुर्मी (महतो) जाति के सदस्य के भूमि का अंतरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (बी०) से अच्छादित होगा। अपितु प्रार्थी एवं उनके भाई (विक्रेता) अवधिया कुर्मी जाति के सदस्य है, परन्तु वे लोग बिहार के निवासी एवं कुर्मी (महतो) जाति के सदस्य नही होने के कारण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से अनाच्छादित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत रिवीजन वाद स्वीकृत किया जाता है। दाखिल खारिज अपील वाद सं० 291 आर० 15/2017–18 मे उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के द्वारा दिनांक 07.04.2023 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलीय न्यायालय को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थी का उचित अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्त विवेचना के आधार पर नये सिरे से आदेश पारित करे। इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। उपायुक्त राँची लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त राँची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.09.18 23:39:43 -07:00
Location: 192.168.1.5

Certified tobe Truecopy

Head Clerk
Legal Section, Ranchi